न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 08/2022 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2022/42

अनवान

1. श्री .श्री मणीलाल पटेल पिता श्री काना उर्फ कानजी पटेल निवासी–गांव सुलई, पोस्ट–सुलई, तहसील–खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री नानालाल उर्फ नानजी पटेल पिता श्री मेघा पटेल, निवासी–गांव सुलई, पोस्ट–सुलई, तहसील–खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री धुला पिता मेघा पटेल, निवासी–गांव सुलई, पोस्ट–सुलई, तहसील–खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गणी देवी पत्नी पुरा पटेल निवासी–गांव सुलई, पोस्ट–सुलई, तहसील–खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
5. .श्रीमती गौरी रोत पत्नी परमेश्वर मीणा, निवासी–केलावड़ा–ए, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लोकेश पिता श्री शंकरलाल मीणा, निवासी–निवासी–केलावड़ा–ए, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री सुनिल सोमानी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री लोकेश मेनारिया अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 20.12.2001 अन्तर्गत प्रकरण सं. 375/01

* निर्णय *

दिनांक – 29-08-2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि गांव केलावाडा–ए एवं सुलई के प्रार्थीगण आदिवासी होकर कृषक है। राजस्व ग्राम सुलई, पटवार हल्का सुलई के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आराजी संख्या 2229, 2230, 2231 पर प्रार्थीया संख्या 5 श्रीमती गौरी के खातेदारी की होकर कृषि से काबिज है एवं आराजी नम्बर 2240, 2241, 2242 एवं 2243 पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 से खातेदारी की होकर कृषि से काबिज है। उक्त दोनो वर्णित खाते की कृषि भूमि के बीच में आराजी नम्बर 2232 राजकीय भूमि स्थित है। आराजी नम्बर 2232 पर राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत सन् 1985 के लगभग राज्य सरकार एवं नागरिकों के संयुक्त सहयोग से जलोत्थान सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए राज्य सरकार द्वारा भारी राशि खर्च कर इस क्षैत्र की कृषि भूमियों को सिंचित करने के लिए पम्प सेट और बिल्डिग की व्यवस्था की गई है। और इस पम्प सेट से आसपास की कृषि भूमि सिंचित होती चली आ रही है। आराजी नम्बर 2232 का कुछ हिस्से का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में किया जाता रहा है, जिससे होकर ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आते जाते है और कृषि जिन्स की बुवाई से लेकर पकी हुई उपज प्राप्त करने के लिये और उक्त उपज को लेकर कृषि मण्डी में लो जाने के लिये ट्रेक्टर, ट्रक थ्रेसर आदि साधन इसी आराजी पर स्थित इसी रास्ते से लम्बे समय से अनवरत करते आ रहे है। आराजी नम्बर 2232 को आवंटित करने की कार्यवाही गुप–चुप तरिके से की गई है। विपक्षी संख्या 1 लोकेश पिता शंकरलाल मीणा अकेले से आवेदन लेकर बिना जांच एवं प्रकिया अपनाये बिना कागजाती नाम मात्र का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया । इससे पीडित होकर उक्त आवंटन निरस्त करने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया हे। आवंटन के लिए किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा नहीं की गई है और आवंटन करने के पूर्व सर्वसाधारण को कोई सूचना नहीं दी गई है जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित आराजी संख्या 2232 पर सन् 1985 में सभी गांव के कृषकों को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं ग्रामवासियों द्वारा भारी रकम खर्च कर योजना के अन्तर्गत पम्प सेट एवं बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इस क्षैत्र के कृषि आराजी की सिंचाई, कृषक करते चले आ रहे हैं और कृषकों को विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन दिये गये है और विद्युत वितरण निगम द्वारा भी राशि खर्च की गई है, जिससे आवन्टन निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 क पिता सरकारी कर्मचारी हो राजकीय सेवा में है, इस तथ्य का अंकन उसने अपने आवेदन पत्र में नहीं किया है तथा उक्त तथ्य को उसने अपने आवेदन पत्र में छिपाया है। इसलिये आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन समिति की कोई बैठक नहीं हुई कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। आवंटन पत्र की शर्त के अनुसार आवंटी को तीन से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, जबकि विपक्षी संख्या 1 के चार सन्तान है इस आधार पर आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है। तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया गया है, विपक्षी के पास पहले से ही 1.39 है. कृषि भूमि है जिससे विपक्षी संख्या 1 कानूनन भूमिहिन कृषक की श्रेणी में नहीं आने की वजह से आवंटन की पात्रता धारित नहीं किये जाने की वजह से आवंटन निरस्त किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आंवटन समिति उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा द्वारा दिनांक 20.12.2001 को विपक्षी संख्या 1 के नाम पर किया गया आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं ग्राम सुलई तह.खेरवाडा के आराजी नम्बर 2232 राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। अन्य कोई अनुतोष प्रार्थी के हक में कानूनन प्रदान किया जा सकता हो, प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया द्वारा जवाब मय प्रारम्भि आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र उत्तरदाता को विधिवत् भूमि आवंटन होने के करीब 22 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कलम संख्या 17 में मयाद के प्रश्न पर यह अंकन किया है कि प्रार्थीगण को आंवटन की जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र पेश है लेकिन अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह अंकन नहीं किया कि प्रार्थीगण को जानकारी कब कैसे हुई, इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया जबकि आवंटन को चुनौती दिये जाने की समय सीमा निर्धारित है उसी अवधि में उसे चुनौती दी जा सकती है न कि कभी भी। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र किस आधार पर और किस हैसियत से प्रस्तत किया है इसका भी कोई अंकन नहीं किया है किस आवंटन से उनके कौनसे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ या उन्हें इस आवंटन से क्या नुकसान हुआ इसका भी कोई कारण नहीं बताया। प्रार्थीगण का कोई लोकसस्टैण्डाई उक्त आवंटन को चुनौती दिये जाने का नहीं है। सभी प्रार्थी आदिवासी काश्तकार नहीं है। आराजी संख्या 2232 वर्तमान में राजकीय भूमि नहीं है बल्कि दिनांक 20.12.2001 से उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 को आवंटन हो तब से वह आवंटन के आधार पर काबिज चला आ रहा है और वर्तमान में उसके खातेदारी में दर्ज है। आवंटन से पूर्व उक्त आराजी पर उसका कब्जा हो वह पूर्व में भूमिहिन था। वर्ष 1985 में इसी योजना के अन्तर्गत कोई सिंचाई परियोजना स्थापित हुई हो उसकी जानकारी नहीं है। न ही उक्त आराजी के किसी भी भाग पर रास्ते का उपयोग हो रहा हो और उससे प्रार्थीगण आते–जाते हो यह भी स्वीकार नहीं है। कोई रास्ते के लिए उपयोग में नहीं आ रही है। सम्पूर्व आवंटन प्रक्रिया नियमानुसार अपनाकर भूमि का आवंटन किया जिसे प्रार्थीगण को निरस्त कराने का अधिकार नहीं है। वास्तविकता में उत्तरदाता को आवंटित आराजी के एक तरफ प्रार्थी संख्या 5 की भूमि स्थित है एवं दूसरी ओर प्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि स्थित है जो येन–केन–प्रकारेण उत्तरदाता को आवंटित भूमि स्वंय हडपना चाहते हैं, इस कारण उसे नाजायज परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है, न तो वर्तमान में वहां पर कोई सिंचाई परियोजना स्थापित है, न आंवटन से पूर्व थी, बल्कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

आवंटन पूर्व भूमि अन–ओक्यूपाईड होकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज होने से आवंटन योगय होने के कारण आवंटित की गई है। उत्तरदाता न तो राजकीय सेवा में था, न है, बल्कि उसके पिता के राजकीय सेवा में होने से वह आवंटन हेतु पात्रता नहीं रखता था, यह कोई आवंटन की शर्त नहीं थी। उत्तरदाता ने आवंटन में ही स्वंय के राजकीय सेवा में नहीं होने बाबत् स्पष्ट अंकन किया है, किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है। आवंटन के समय एवं उससे पूर्व उत्तरदाता भूमिहिन कृषक था, उसके नाम पहले से कोई कृषि भूमि नहीं थी। प्रार्थीगण ने उक्त कलम में जो 1.39 है. कृषि भूमि उत्तरदाता के नाम पर होना बताया है उसका कोई विवरण अंकित नहीं किया। वह कहां पर स्थित है, इस बारे में भी नहीं बताया है केवल मात्र कयासी आधार पर आंवटन निरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को आवंटन की जानकारी कैसे कब हुई इस बारे में कोई अंकन नहीं किया है जबकि आवंटन निरस्ती हेतु समय सीमा 30 दिन विधि में प्रावधित हैं लेकिन उक्त आंवटन दिनांक 20.12.2001 को होने के पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद करीब 22 वर्षो बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मयाद के आधार पर ही खारिज योग्य है। प्राथीगण ने मयाद के सम्बन्ध में न तो कोई मयाद माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया न ही मयाद को माफ करने का कारण दर्शित किया सवं किस प्रकार प्रार्थीगण को आवंटन की जानकारी हुई इस सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किये हैं ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मयाद बिन्दू के आधार पर ही निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है केवलमात्र प्रार्थी संख्या 5 जो राजकीय सेवा में है एवं उसके पति भी राजकीय सेवा में होकर अपने पैसे के बल पर उत्तरदाता को आवंटित जमीन लेना चाहते थे जिसको उत्तरदाता ने देने से मना कर दिया तो उससे खफा हो उन्होने उत्तरदाता को नाजायज परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त के है। प्रार्थीगण को उत्तरदाता के आंवटन को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि आवंटी उसी गावं का निवासी नहीं है। आवंटी के 4 बच्चे होकर आवंटन निति के विरूद्ध है। सरकार ने जलोत्थान निति के तहत बिल्डिंग बना रखी है। बाकी की भूमि रास्ते में आ रही है। आवंटन के बाद मौके पर भी नहीं आया है। 2001 में गलत जानकारी देकर आवंटन करा लिया है। आंवटन निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया आवंटन 2001 का है। 22 साल बाद अपील लेकर आये है। मेरे आवंटन से कैसे प्रभावित है यह नहीं बताया है। प्रार्थना पत्र मयाद में नहीं है। इनकी भूमियों के बीच में मेरी जमीन आ रही है। दबाव बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे है। मैं भूमिहिन हूं इसलिए आंवटन हुई है। प्रार्थी के कौनसे अधिकारों का हनन हुआ है। आवंटन के वक्त कोई निर्माण या परियोजना नहीं हुई है। योजना कब की बंद हो गई है। आवंटन के वक्त मै कुंवारा था। इसी गांव का हूं। 2010 से पूर्व खातेदारी अधिकार मिल गए है। जमीन हडपने के लिए दावा किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश कीः–

- RRT 2018(1) page 299
- 2018(2)DNJ (Raj) page 727

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय की आवंटन पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रकरण में आवंटी श्री लोकेश पिता शंकरलाल मीणा निवासी खेरवाडा द्वारा दिनांक 20.12.2001 को आवंटन हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच कर रिपोर्ट करने एवं आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए मौजा सुलई की आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.88 है. भूमि का आंवटन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने का तर्क देकर आवंटन निरस्त किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त आवंटी के 4 संतान है एवं उस गांव का निवासी नहीं होकर गलत जानकारी देकर आवंटन करा लिया है। जबकि मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में पटवारी द्वारा आवंटी के प्रार्थना पत्र की जाचं में आवेदित भूमि बि.का. होकर मौके पर खाली होकर विवाद रहित है। एवं आवंटित भूमि की उद्घोषणा हो चुकी है। एवं आवेदक राजकीय सेवा में नहीं है व सदभावी कृषक होकर बालिग होने की रिपोर्ट की गई। आवेदन पर कमेटी द्वारा आवंटन की सिफारिश की गई है । भू आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन परामर्शदात्री समिति की सलाह पर आवंटन आदेश जारी किया गया है। आवंटन गैर खातेदारी के रूप में किया गया है। आवंटन की शर्तो की पालना करने के उपरान्त ही आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उसी आधार पर वर्तमान में खातेदार के रूप में नाम दर्ज है। आवंटन के वक्त विपक्षी अविवाहित था, तो 4 संतान होने कथन पूर्णतः मिथ्या प्रतीत होता है। किस प्रकार आवंटन कमेटी को गलत जानकारी देकर आवंटन करा लिया है यह कहीं साबित नहीं होता है। आवंटन वर्ष 2001 में किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में आवंटन निरस्त हेतु वाद प्रस्तुत किया है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जो कि 21 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत किया है जबकि यदि कब्जे/खातेदारी बाबत् विवाद था तो प्रार्थी को इसका ज्ञान कबका हो जाना चाहिए, खातेदारी मिलने की प्रकिया के दौरान भी प्रार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था। आवंटन को लेकर प्रार्थीगण किस प्रकार से प्रभावित है यह प्रार्थीगण द्वारा कहीं नहीं बताया है। माननीय न्यायालय को विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार प्रार्थना पत्र नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 को निस्तारित करने में यह देखना आवश्यक है कि आवंटी ने भूमि के आवंटन हेतु क्या छल, कपट व मिसरिप्रजेन्टेशन किया है तथा आवंटन पश्चात नियमानुसार आवंटित भूमि को काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण के अवलोकन से यह कहीं भी साबित नहीं होता है आवंटन धोखे से गलत जानकारी देकर करा लिया गया है, जबकि नियमानुसार आवंटी को शर्तो की पालना करने से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। विपक्षी के केवल मात्र कथन एवं तकनीकी आधारों पर आवंटी खातेदार का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राजी)